

प्रेषक:—

अग्निशमन पदाधिकारी,  
जहानाबाद।

सेवा में,

केन्द्रीय विद्यालय जहानाबाद,  
पता—एनवाँ, जहानाबाद।

प्रसंग:—

आपका पत्रांक — एफ20—04(लैंड एंड बिल्डिंग/के.वि.जे./2020—2021  
दिनांक 07.06.2021 के आलोक में।

विषय:—

अग्नि-सुरक्षा वृष्टिकोण के अनुरूप वांछित किये गये अग्निशमन  
यंत्र/व्यवस्थाओं का जाँच प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रारम्भिक पत्र के आलोक में कहना है कि आपका पत्रांक एफ 28—04 (लैंड एंड बिल्डिंग/के.वि.जे./2020—2021 दिनांक 07.06.2021 के द्वारा हाइड्रेन्ट एवं अलार्म लगा लेने के आदेश पर जो लगा हुआ है उसके आधार पर जाँच प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। विद्यालय भवन के Ground+1 में संचालित है। जिसमें संस्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र/व्यवस्थाओं को निरीक्षण किया गया, जिसका विवरणी इस प्रकार है:—

1. विद्यालय भवन के संचालित ग्राउंड तल एवं प्रथम तला में ए0बी0सी0 एवं CO<sub>2</sub> टाईप फायर पोर्टेबल यंत्र उचित संख्या में लगाया गया है जो सक्रिय अवस्था में है।
2. विद्यालय भवन के समीप तक अग्निशमन वाहन जाने का रास्ता सुगम है।
3. विद्यालय भवन में अपातकालीन नं0 101 लिखा पाया गया तथा **Exit** सांकेतिक चिन्ह दर्शाया गया है।
4. विद्यालय भवन में किये गये विद्युत वागारिंग सुदृढ है।
5. विद्युत पैनल बोर्ड एवं इन्वर्टर की सुरक्षित व्यवस्था हेतु फायर पोर्टेबल यंत्र रखा गया है।
6. विद्यालय भवन में ऊपर जाने हेतु दो सिढीयाँ कम घुमावदार एवं बाधारहित बनायी गयी है।

विद्यालय भवन में लगाये गये सभी अग्निशमन यंत्र सक्रिय अवस्था में रखने की जिम्मेवारी प्रबंधक/संचालक को है। एक्सटिंग्यूशर का संधारण आई0एस015683/2006 के अनुसार करेंगे। यंत्रों को क्रियाशील रखने हेतु वर्ष में दो बार अग्निसुरक्षा, मॉक ड्रिल करेंगे। अग्निशमन यंत्रों को क्रियाशील रखते हुए विद्यालय को संचालित रखा जा सकता है। इन्हें एक वर्ष के लिए जाँच प्रमाण पत्र निर्गत किया जात है।



विश्वासभाजन

*[Signature]*  
08/06/2021

अग्निशमन पदाधिकारी

जहानाबाद

नोट:—आपका पत्रांक आग लगने पर डायल करें:—06114-223184 एवं 9430099183।